भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3243
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

3243. श्री बी.बी. पाटील:
श्री रामशिरोमणि वर्मा:
श्री सौमित्र खान:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पूरे देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो महिलाओं के विरूद्ध ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा दहेज संबंधी उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्रदान की जा रही सहायता/ सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है और ऐसे अधिकारियों को घरेलू हिंसा और दहेज से संबंधित उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2020 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी की प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो वर्ष 2019 में 4,05,326 की तुलना में 2020 में 371503 था। इसी तरह कथित आंकड़े उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध वर्ष 2019 में अपराधों की कुल संख्या 59,853 की तुलना में कमी की प्रवृत्ति दर्शाते हैं क्योंकि वर्ष 2020 में यह संख्या 49,385 थी। यद्दिप आंकड़े पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि दर्शाते हैं क्योंकि राज्य में वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में क्रमश: 29,859 और 36,439 मामले पंजीकृत किए गए।

आंकड़ों के अनुसार दहेज मृत्यु (भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख),पति एवं उसके रिश्तेदारों की क्रूरता (भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क) दहेज उत्पीड़न (दहेज प्रतिषेध अधिनियम),घरेलू हिंसा (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम) जैसे विवाह से संबंधित हिंसा की प्रवृत्ति में कमी आई है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

विवाह संबंधी अपराध	**2019**	**2020**
पति एवं उसके रिश्तेदारों की क्रूरता (भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क)	1,24,934	1,11,549
दहेज उत्पीड़न (दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत)	13,307	10,366
दहेज मृत्यु (भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख)	7,141	6,966
घरेलू हिंसा (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,2005)	533	446

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस और कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य की है और वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

भारत का संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है और यह महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव का उन्मूलन और उनका समग्र विकास तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप करने का प्रावधान करता है। संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता, 2013 और 2018 का अपराधी कानून (संशोधन),अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961,घेरलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006 जैसे कानून लागू किए गए हैं जो महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली जेंडर असमानता, भेदभाव और हिंसा की समस्याओं का समाधान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हिंसा से प्रभावित और विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर, टोल फ्री टेलीफान शॉट कोड 181 पर प्रचालित महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली या बेसहारा महिलाओं के लिए अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन जैसी कई स्कीमों की शुरुआत की है।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों/निर्भया कोष के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कई परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें आपात स्थितियों के लिए अखिल भारत स्तर पर मोबाइल आधारित एकल नंबर 112 आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली (ईआरएसएस), अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, अवसंरचना सहित 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजना, तकनीकी अंगीकरण और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और मेडिकल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को यौन साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट का वितरण, चंडीगढ़ सीएफसीएल में अति आधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना, 24 राज्यों/ संघ शसित क्षेत्रों में फारेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों का त्वरित निपटान के लिए विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफएीएससी) की स्थापना, देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, थानों में महिला हेल्प डेस्कों(डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं। सरकार ने यौन अपराधों का पता लगाने और जांच की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन एनॉलाटिक टूल आधारित इंवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम तैनात किया है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस भी तैयार किया गया है।

निर्भया कोष के अंतर्गत, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो(बीपीआरएंड डी) ने भी कई पहलें शुरू की है जसमें अन्य बातों के अतिरिक्त जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और मेडिकल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम और राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को यौन साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट का वितरण शामिल है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो(बीपीआरएंड डी) ने भी चार प्रमुख घटकों अवसंरचना, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रत्युत्तर प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए थानों में महिला हेल्प डेस्कों के कामकाज को आसान करने को सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसटीओपी) तैयार की है। यौन उत्पीड़न के हमले के विशिष्ट संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से जिसमें जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है 'महिला सुरक्षा और संरक्षा- पुलिस में पहले उत्तरदाताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका' नामक एक पुस्तिका भी तैयार की गई है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम और पता लगाने और अपराध के शिकार लोगों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और व्यवहार कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के जेंडर संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में हिंसा से पीड़ित और विपदाग्रस्त महिलाओं की मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकता से निपटने के लिए 'स्त्री मनोरक्षा' नामक परियोजना के तहत वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) की सेवा ली है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) नियमित रूप से शिकायतों का प्रबंधन करने के अलावा, विपदाग्रस्त महिलाओं को एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर 7827170170 के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रणाली प्रदान करता है। एनसीडब्ल्यू सोशल मीडिया में रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों का भी संज्ञान लेता है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके कार्रवाई की जाती है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे कभी भी ससुराल वालों की गई हिंसा झेलने वाली 18 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं की प्रतिशत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)4 (2015-16) के 31.2% प्रतिशत की तुलना में एनएफएचएस -5 (2019-20) में 29.3% तक की कमी, कुल जनसंख्या के लिंगानुपात (प्रति 1000 लड़कों पर बालिकाएं) में वृद्धि और मार्च, 2022 तक देश भर में वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 75 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाना।

*****